



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1083) पटना, मंगलवार, 8 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर 2026

एस0ओ0 213 दिनांक 8 सितम्बर 2026—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम सं0-46) की धारा-8 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से, विधि विभागीय अधिसूचना सं0-7511 दिनांक-22.11.2024 एवं अधिसूचना सं0-2250 दिनांक-04.04.2025 के उपांतरण में आर्थिक अपराध थाना, बिहार, पटना में दर्ज मामलों के विचारण के लिए श्री रवि प्रकाश, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना एवं श्रीमती प्रियंका यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना के न्यायालयों के स्थान पर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना तथा श्रीमती अंजिता सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना के न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

- (2) इस संदर्भ में पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-7511 दिनांक-22.11.2024 एवं अधिसूचना सं0-2250 दिनांक-04.04.2025 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
- (3) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-05/2017/7373/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव।

8 सितम्बर 2026

एसओ. 213 दिनांक 8 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/एक्ट-05/2017/7373/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

The 8th September 2026

S.O. 213, dated The 8th September 2026— In exercise of the powers conferred by section-8 and 9 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act. No.-46 of 2023) the State Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, in modification of the Law Departmental Notification No.-7511 dated-22.11.2024 and Notification No.-2250 dated-04.04.2025 designates the Courts of Smt. Nishtha Upadhyay, Judicial Magistrate, Ist class-cum-Additional Civil Judge (Jr. Div.) Patna and Smt. Anjita Singh, Judicial Magistrate, Ist class-cum-Additional Civil Judge (Jr. Div.) Patna in place of Shri Ravi Prakash, Judicial Magistrate, Ist class-cum-Additional Civil Judge (Jr. Div.) Patna and Smt. Priyanka Yadav, Judicial Magistrate, Ist class-cum-Additional Civil Judge (Jr. Div.) Patna as Special Court for trial of cases instituted under Economic Offences Police Station, Bihar, Patna.

- (2) The Departmental Notification No.-7511 dated-22.11.2024 and Notification No.-2250 dated-04.04.2025 already issued in this context, is amended to this extent.
- (3) This notification shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

(File No.-A/Act -05/2017/7373/J.)
By Order of the Governor of Bihar,
Balram Dubey,
Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1083-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>